ए.एम.जी-I/प्रतिवेदन संख्या-137/2020-21

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **प्रधानाचार्य, सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, चन्द्रनगर देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रधानाचार्य, सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, चन्द्रनगर देहरादून** के माह 08/2009 से 01/2021 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन, जो श्री संजीव कुमार, लेखापरीक्षक, श्री जितेन्द्र सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रहलाद सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, द्वारा दिनांक 11.02.2021 से 18.02.2021 तक श्री महेन्द्र तिवारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस.के डंग पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 01.08.2009 से 11.08.2009 तक श्री अरुण कुमार भारतीय सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी ।

1. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

प्रधानाचार्य, सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, चन्द्रनगर देहरादून द्वारा विभागीय सेवारत कार्मिकों को राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रशिक्षण दिलाया जाता है।

भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- सम्पूर्ण गढ़वाल परिक्षेत्र ।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अधिक्य (+)	समर्पण
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन			व्यय		
2009-10	--	--	79.01	66.18	--	--	--	12.83
2010-11	--	--	97.23	92.24	1.06	0.80	--	5.25
2011-12	--	--	107.21	94.32	10.72	4.72	--	18.89
2012-13	--	--	118.09	90.54	0.17	0.06	--	27.66
2013-14	--	--	113.35	91.13	5.40	2.40	--	25.22
2014-15	--	--	105.25	90.18	3.72	2.70	--	16.09
2015-16	--	--	105.55	86.37	38.91	25.18	--	32.91
2016-17	--	--	102.10	88.31	59.14	40.94	--	31.99
2017-18	--	--	109.95	107.63	41.14	21.34	--	22.14
2018-19	--	--	119.23	117.53	52.07	43.50	--	10.27
20-2019	--	--	20.13	19.84	105.55	93.30	--	12.52
2020-21	--	--	19.93	10.59	2.29	1.18	--	--

(01/21)								

(आ) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत, विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण-

वित्तीय वर्ष	**प्रा .अवशेष**	**आवंटन**	**व्यय**	**अंतिम अवशेष**
19-2018	**--**	00	00	00
20-2019	**--**	00	00	00
21-2020 (01/21)	**--**	00	00	00

(ii) इकाई "सी"श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन देहरादून ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून ।
3. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी ।
4. प्रधानाचार्य, सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रशिक्षण केन्द्र 107 चन्दरनगर देहरादून।

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय प्रधानाचार्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, चन्द्रनगर देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रधानाचार्य,सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, चन्द्रनगर देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 06/2016, 03/2020,10/2018,03/2011 एवं 02/2012 को विस्तृत जांच हेतु तथा माह 09/2018, 04/2019,07/2020,03/2010 एवं 08/2011 को अंकगणितीय शुद्धता की जाँच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग II "ब"</u>

<u>प्रस्तरः01-</u> अनुरक्षण एवं सिविल कार्यों की अधिकतम आवश्यक मात्रा को छोटे-छोटे भागों में विभाजित करके एक ही ठेकेदार से कार्यों का निष्पादन कराया जाना रुपये 7.50 लाख ।

उत्तराखण्ड आधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियम 3 अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धांत के अनुसार- (1) समस्त आधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षिता सुनिश्चित की जाए ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके ।

(10) Efforts shall be made to bulk the demands as far as practicable so as to achieve advantage of lower rates. A demand shall not be split to bring down the value of procurement nor divided into small quantities to make piecemeal purchases to avoid the necessity of obtaining the sanction of higher authority required with reference to the estimated value of the total demand.

उच्चाधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त किये जाने की आवश्यकता से बाचने के लिए, आवश्यक आपूर्ति की अधिकतम मात्रा को छोटे-छोटे भागों में विभाजित करके, मूल्य को कम करने के अभ्यास से बचना चाहिए ।

इकाई के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में जाँच के दौरान पाया गया कि, वित्तीय वर्ष 2010-11 में अनुरक्षण एवं सिविल कार्यों की अधिकतम आवश्यक मात्रा को छोटे-छोटे भागों में विभाजित करके एक ही ठेकेदार से एक माह में निम्नवत सारणी के अनुसार की निर्माण कार्यों का निष्पादन कराया गया ।

क्र.सं.	**ठेकेदार /फर्म का नाम**	**कार्य आदेश सं .**	**दिनांक**	**धनराशि रु.**
1	**राजेश कपूर 66/67त्यागी रोड देहरादून**	**डी.टी.सी-36 . 40**	**20.01.11**	**264972**
2	**---तदैव --**	**डी.टी.सी-41 . 42**	**22.02.11**	**2823**
3	**---तदैव --**	**डी.टी.सी-46 . 50**	**20.01.11**	**325897**
4	**बालकृष्ण मल्होत्रा ,कुलड़ी बाजार मसूरी**	**डी.टी.सी-41 . 45**	**20.01.11**	**157205**
Total				**750897**

उपरोक्त सारणी के अनुसार इकाई द्वारा निर्माण कार्यों की अधिकतम आवश्यक मात्रा को छोटे-छोटे भागों में विभाजित करके उच्चाधिकारियों की स्वीकृति लिए बिना ही वित्तीय सीमा के परे रुपये 750897 के मूल्य निर्माण कार्यों का निष्पादन कराया गया जो उपरोक्त नियमानुसार अनियमित सिद्ध हुआ ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वतः स्वीकार किया गया और कहा गया कि, निर्माण कार्य

सम्बन्धी नियमों की जानकारी के अभाव में अनुरक्षण कार्य का निष्पादन कराया गया, भविष्य में लेखापरीक्षा के निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा ।

अतः अनुरक्षण एवं सिविल कार्यों की अधिकतम आवश्यक मात्रा को छोटे-छोटे भागों में विभाजित करके एक ही ठेकेदार से रुपये 7.50 लाख के निर्माण कार्यों का निष्पादन कराये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

<u>भाग-दो(ब)</u>

<u>प्रस्तर:02-</u> इंस्टीटयूशनल स्ट्रेंथेनिंग निर्धारित प्रतिशत से अधिक व्यय करना धनराशि रुपये 2.96 लाख

मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी को सम्बोधित, निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरा नगर लखनऊ के पत्र संख्या 357 /आरसीएच /एसआई /36/1201-24 दिनांक 29 सितम्बर, 2000 तथा संदर्भित प्रमुख सचिव उ.प्र.शासन लखनऊ के समस्त प्रधानाचार्य सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र को प्रेषित शासनादेश सं 3881/5-9-2000-12(42)/99 25.10.2000 के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार इंस्टीटयूशनल स्ट्रेंथेनिंग से सम्बंधित 15 प्रतिशत धनराशि का उपयोग प्रशिक्षण कार्य के ही सम्बन्ध में प्रदत्त मानक के अनुसार किया जाय और इसी भांति कंटीजेंसी से सम्बंधित धनराशि का उपयोग भी प्रशिक्षण कार्य में ही किया जाय, उल्लेखित था ।

इकाई के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान जाँच में पाया गया कि, इंस्टीटयूशनल स्ट्रेंथेनिंग से सम्बंधित निर्धारित प्रतिशत से अधिक व्यय का वर्षवार विवरण निम्नवत तालिका के अनुसार किया गया था-

Sl. No.	Name of Training	Year of Training	Grant Received	Institutional charges incurred	Limit to 15% of total Grant	Difference in Rs	Expenditure in % to total grant received
01	Asha Dairy	2017-18	69030	16695	10355	6340	24
02	DSRC-AIDS(RTI STI)	2018-19	14600	4000	2190	1810	27
03	SIM Software	2019-20	9175	2175	1376	799	24
04	AIDS- Consultant	2019-20	39675	9384	5951	3433	24
05	ANM Handbook on Immunization	2019-20	153613	100235	23041	77194	65
06	RKSK	2019-20	449700	156059	67455	88604	35
07	Workshop M&E Accountant	2019-20	60260	14353	9039	5314	24
08	BEMOC	2019-20	143200	53379	21480	31899	37
09	Hemoglobinopathy	2019-20	238815	117290	35822	81468	49
Total						2,96,861	

इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया कि, मिशन निदेशक एन एच एम के स्तर से 15% संस्थागत धनराशि निर्धारित कर प्रेषित की गयी थी.उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 के दौरान इकाई द्वारा प्रदान

किये गए विभिन्न ट्रेनिंग कार्यक्रमों में आवंटित धनराशि 15% से अधिक थी जो की उपरोक्त शासनादेश का उल्लंघन था.

अतः इकाई द्वारा इंस्टीटयूशनल स्ट्रेंथेनिंग मद में निर्धारित प्रतिशत से अधिक रुपये 2.96 लाख व्यय किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है

ए.एम.जी-I/प्रतिवेदन संख्या-137/2020-21

STAN

<u>प्रस्तरः01</u>-प्रतिभागियों के लिए भोजन व्यवस्था कार्य में अनुबन्ध की शर्तों की अवहेलना किये जाने के वावजूद भी ठेकेदार को अनियमित भुगतान रुपये 21.08 लाख।

सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र चन्द्रनगर देहरादून में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रतिभागियों के लिए भोजन व्यवस्था कार्य के सेवा की अधिप्राप्ति हेतु निविदा प्रपत्र के भाग-4, के बिन्दु (2) कार्य / अनुबन्ध की शर्तें व प्रतिबन्ध (ग) शर्तें (9) के अनुसार ठेकेदार को किचन के लिए नियुक्त कुक व Attendants की चिकित्सा के उपरान्त ही नियुक्ति देनी होगी तथा प्रत्येक तीन माह में उनका पुनः चिकित्सा परीक्षा करानी होगी । चिकित्सा परीक्षा के उपरान्त प्रशिक्षाण केन्द्र प्रशासन को यदि लगता है कि,वे इस प्रकार के रोग से ग्रसित हैं कि उन्हें कुक व Attendants के कार्य नहीं लिया जाना चाहिए तो उन्हें तत्काल हटाना होगा ।

इकाई के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान जाँच में पाया गया कि, प्रतिभागियों के लिए भोजन व्यवस्था कार्य में ठेकेदार द्वारा किचन के लिए नियुक्त कुक व Attendants की चिकित्सा परीक्षण अनुबन्ध की शर्तें व प्रतिबन्ध के अधीन नियमित रूप से नहीं कराया जा रहा था जिसके कारण प्रतिभागियों के लिए की जा रही भोजन व्यवस्था के अन्तर्गत भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी । साथ ही अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रशिक्षण केंद्र प्रशासन द्वारा समय-समय पर किचन और सर्विस व्यवस्था का निरिक्षण किये जाने से सम्बंधित अभिलेखों के उपलब्ध नहीं होने के कारण भोजन की गुणवत्ता का सत्यापन भी सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था ।

जाँच में पाया गया कि, प्रशिक्षण केंद्र प्रशासन की उदासीनता के कारण प्रतिभागियों के लिए भोजन व्यवस्था कार्य में ठेकेदार द्वारा कुक व Attendants की चिकित्सा परीक्षण न तो नियुक्ति के समय कराई गई और न ही प्रत्येक तीन माह में कराया गया ।

आगे यह भी पाया गया कि, प्रशिक्षण केंद्र प्रशासन द्वारा समय-समय पर किचन और सर्विस व्यवस्था का निरीक्षण नहीं कराये जाने के कारण ठेकेदार के माध्यम से प्राप्त की गई कुल रुपये 1208943 की अधिप्राप्ति अनियमित सिद्ध हुई ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वतः स्वीकार किया गया और कहा गया कि, निविदा की शर्तों की जानकारी के अभाव में ठेकेदार द्वारा इस हेतु वांछित कार्यवाही नहीं की गई, भविष्य में अनुपालन किया जायेगा तथा ठेकेदार से पत्राचार कर लेखापरीक्षा आपत्ति का निस्तारण किया जायेगा ।

अतः प्रतिभागियों के लिए भोजन व्यवस्था कार्य में अनुबन्ध की शर्तों की अवहेलना किये जाने के वावजूद भी ठेकेदार को रुपये 21.08 लाख के अनियमित भुगतान का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**
23/2009-10	**-**	**01.02.03**	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
अभियुक्तिः अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या के संबंध में इकाई द्वारा अवगत कराया गया है कि उच्चाधिकारी की संस्तुति के साथ प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय प्रधानाचार्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, चन्द्रनगर देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः विगत लेखापरीक्षा के प्रस्तरों की आख्या

2. सतत् अनियमितताएः---------- शून्य ----------

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डा. गीता मधवाल	प्रधानाचार्य	01.10.08 से 30.04.09
2	डा. आर.पी. भट्ट	प्रधानाचार्य	30.04.09 से 14.10.11
3	डा. श्रीमती लता बिष्ट	प्रधानाचार्य	15.10.11 से 31.08.12
4	डा. के.के.टम्टा	प्रधानाचार्य	01.09.12 से 09.05.16
5	डा. दीपाली फोनिया (कार्यवाहक)	प्रधानाचार्य	09.05.16से 30.06.16
6	डा.एस पी एस नेगी	प्रधानाचार्य	30.06.16 से 21.04.18
7	डा. मिनाक्षी उनियाल	प्रधानाचार्य	21.04.18 से 31.12.19
8	डा.एस एस कंडारी (कार्यवाहक)	प्रधानाचार्य	31.12.19 से 20.01.20
9	डा. अनिल कुमार	प्रधानाचार्य	20.01.20 से 31.03.20
10	डा.एस एस कंडारी(कार्यवाहक)	प्रधानाचार्य	31.03.20 से 27.06.20
11	डा. बी एस जंगपांगी	प्रधानाचार्य	27.06.20 से 01.07.20
12	डा.नरेन्द्र कुमार त्यागी	प्रधानाचार्य	01.07.20 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय प्रधानाचार्य, सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, चन्द्रनगर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप-महालेखाकार, ए.एम.जी-I कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195 को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

ए.एम.जी-I